संख्या-502/2025/503 के-2/22-3-2025-17(1082)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल बहादुर राजभर पुत्र स्व0 चिथरू राजभर, निवासी जनपद-चन्दौली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल बहादुर राजभर पुत्र स्व0 चिथरू राजभर, जो ग्राम-पिपरी, थाना-धीना, जनपद-चन्दौली का निवासी है। बन्दी द्वारा प्रेम प्रसंग के कारण दिनांक 30-04-2012 को विपिन नामक लड़के की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-141/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-प्रथम, चन्दौली के दण्डादेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, चन्दौली द्वारा बन्दी को रिहा किये जाने पर पुन: हत्या जैसे अपराध होने से इंकार नहीं किये जा सकने, अपराधी किस्म का व्यक्ति होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की 51 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास की सजा के सापेक्ष मात्र 10 वर्ष, 09 माह, 26 दिन की भोगी गयी अपरिहार सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल बहादुर राजभर (बंदी संख्या-11/2019) पुत्र स्व0 चिथरू राजभर, निवासी जनपद-चन्दौली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in